निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 121/2020 तारीख दायरा :—28.01.2020

उनवान

अब्दुल कादर आत्मज ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द तह0 सांगोद जिला कोटा। — वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा।
2. रसूल मोहम्मद आत्मज ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द, सांगोद हाल मुकाम बीच बाजार वड के पास ग्राम कनवास तह0 कनवास जिला कोटा।
3. हनीफ आत्मज ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द तह0 सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी) दिनांक :— 16.12.2022

श्री मो. शाहिद खान (प्रतिवादी सं. 2 व 3)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माल ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 सांगोद [illegible] में निम्न लिखित विवरण की आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी [illegible] खातेदारान के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 माल ग्राम डाबरीखुर्द एवं सम्वत् 2073 व 2076 में माल ग्राम लक्ष्मीपुरा में अग्रेलिखितानुसार आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम डाबरीखुर्द तह0 सांगोद मे वादी का 1/23 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 सांगोद में अन्य सहखातेदारान के साथ वादी के नाम 2/33 हिस्सा आराजी दर्ज रिकार्ड है। आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है :-

-: विवरण आराजी :-

अ. खाता सं0	खसरा नम्बर	रकबा
88 नया	511	0.28 है0 चाही तृतीय
	514	0.060 है0 चाही गै0मु0
	625	0.33 है0 चाही तृतीय
	626	0.40 है0 चाही तृतीय
	636	1.51 है0 चाही तृतीय
	647	0.32 है0 चाही तृतीय
	670	0.05 है0 चाही तृतीय
	671	0.05 है0 चाही तृतीय
	715	0.03 है0 चाही तृतीय
	716	0.08 है0 चाही तृतीय
	720	0.78 है0 चाही तृतीय
	721	0.05 है0 चाही तृतीय
	764	2.16 है0 नहरी
	83	0.84 है0 नहरी
	कुल खसरा 14	कुल रकबा 6.94 कुल लगानी 15131 रु.

ब. माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 सांगोद की आराजी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 निम्न प्रकार है :-

खाता सं0	खसरा नम्बर	[illegible] वर्गीकरण
430 नया	84 चाही तृतीय	2.5400 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कुल किता 1 रकबा 2.5400

उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतला वादी के पिता ईदा पुत्र कंवरया एवं अन्य सहखातेदारान के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात रही है, जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को वादी के पिता श्री ईदा आत्मज कंवरया की मृत्यु के बाद उनको विरासत उत्तराधिकार में में प्राप्त हुई है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद जरिये नामान्तरण संख्या 337 माल ग्राम डाबरीखुर्द राजस्व कर्मियों द्वारा दिनांक 17.05.83 को ग्राम विकास शिविर केम्प कुराडियाखुर्द में तहसीलदार मय अभिलेख अधिकारी के आदेश से एवं राजस्व कर्मिक पटवार मण्डल हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार नामान्तरण मृतक ईदा के स्थान पर उसके वारिसान के नाम दर्ज करने की स्वीकृती फरमाई है, जिसमें राजस्व कर्मियों द्वारा वादी के वास्तविक नाम अब्दुल कादर पुत्र ईदा के स्थान पर उसका ग्राम में बोलते नाम कजोड दर्ज कर दिया गया है एवं ईसी प्रकार ग्राम विकास शिविर ग्राम कुराडिया खुर्द में कुंवर शाह पुत्र अलिशाह के नाम से माल ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजीयात में भी नामान्तरण नं0 326 तस्दीक करते वक्त वादी के वास्तविक सरकारी रिकार्ड में दर्ज नाम के स्थान पर ग्राम में प्रचलित बोलते नाम कजोड पुत्र ईदा दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेज, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन अयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं अन्य राजकीय दस्तावेजों में अब्दुल कादर पुत्र ईदा दर्ज रिकार्ड है।

वादी को उक्त राजस्व रिकार्ड में उसके वास्तविक नाम अब्दुल कादर पुत्र ईदा के स्थान पर माल ग्राम डाबरीखुर्द एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 सांगोद में कजोड पुत्र ईदा दर्ज होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी को अपने हिस्से की आराजी के विकास कार्य हेतु वित्तिय संस्थाओं एवं बैंक इत्यादि से ऋण सुविधा नही मिल पाती एवं अन्य सरकारी सहायता पेंशन संबंधी योजना व अन्य सरकारी स्कीमों के फायदे से भी वादी को वंचित होना पड रहा है। वादी लघु सीमान्त श्रेणी का गरीब कृ[illegible]णकारी सरकारी एवं गैर सरकारी कृषक योजनाओं [illegible] पात्र व्यक्ति है, परन्तु उक्त राजस्व रिकार्ड की त्रुटी के [illegible] वास्तविक हकों से वंचित रहा है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो [illegible] कि वह राजस्व रिकार्ड में माल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

ग्राम डाबरीखुर्द में नामान्तरण संख्या 337 एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में नामान्तरण तस्दीक के वक्त राजस्व कर्मियों के द्वारा की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर वादी के नाम को अब्दुल कादर के स्थान पर कजोड पुत्र ईदा दर्ज हो गया है, उक्त त्रुटी पूर्ण इन्द्राज को दुरस्त कराने हेतु सम्माननीय न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री प्राप्त करें कि वादी का नाम कजोड पुत्र ईदा के स्थान पर अब्दुल कादर पुत्र ईदा वादी का वास्तविक नाम है उक्त नाम को संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की घोषणा की डिक्री प्रसारित करावें एवं तदनुसार तहसीलदार साहब सांगोद को आदेशित किया जावे कि वादी का नाम माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 सांगोद एवं माल ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद की आराजी में अब्दुल कादर पुत्र ईदा जाति मुसलमान फकीर दर्ज किया जावे। यही वाद की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे :—

माल ग्राम डाबरीखुर्द की खाता सं0 88 की ख0नं 511 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 514 रकबा 0.06 है0, ख0नं 625 रकबा 0.33 है0, ख0नं 626 रकबा 0.40 है0, ख0नं 636 रकबा 1.51 है0, ख0नं 647 रकबा 0.32 है0, ख0नं 670 रकबा 0.05 है0, ख0नं 671 रकबा 0.05 है0, ख0नं 715 रकबा 0.03 है0, ख0नं 716 रकबा 0.08 है0, ख0नं 720 रकबा 0.78 है0, ख0नं 721 रकबा 0.05 है0, ख0नं 764 रकबा 2.16 है0, ख0नं 83 रकबा 0.84 है0, कुल किता 14 की 6.9400 हैक्टर एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या नया 130 के खसरा नं0 84 रकबा 2.54 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के नाम कजोड पुत्र ईदा के स्थान पर अब्दुल कादर पुत्र ईदा दर्ज करने की घोषणा करते हुये राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम को दुरस्त कर कजोड पुत्र ईदा के स्थान पर अब्दुल कादर पुत्र ईदा जाति फकीर दर्ज करने के सादिर आदेश तहसीलदार सांगोद को दिये जावे, ताकि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक घोषणा इन्द्राज किये जावें।

उक्त आशय का दा[illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की [illegible] 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शाहीद खान द्वारा इकबाली जवाब दा[illegible]स्तुत किया गया। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रतिवादी सं. 1 फॉर्मल पक्षकार है। इसके उपरान्त वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

वहस वादीगण सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जो भी प्रस्तुत की गई वह न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं की गई है, वल्कि उनके द्वारा न्यायालय में इकवाली जवाव दावा प्रस्तुत किया गया है। इस कारण पत्रावली में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त प्रकार के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि माल ग्राम डावरीखुर्द में नामान्तरण संख्या 337 एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में नामान्तरण तस्दीक के वक्त राजस्व कर्मियों के द्वारा की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर वादी के नाम को अब्दुल कादर के स्थान पर कजोड पुत्र ईदा दर्ज किया गया है, जो कि न्यायहित में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होने से दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम डावरीखुर्द की खाता सं0 88 की ख0नं 511 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 514 रकबा 0.06 है0, ख0नं 625 रकबा 0.33 है0, ख0नं 626 रकबा 0.40 है0, ख0नं 636 रकवा 1.51 है0, ख0नं 647 रकबा 0.32 है0, ख0नं 670 रकबा 0.05 है0, ख0नं 671 रकबा 0.05 है0, ख0नं 715 रकबा 0.03 है0, ख0नं 716 रकबा 0.08 है0, ख0नं 720 रकबा 0.78 है0, ख0नं 721 रकबा 0.05 है0, ख0नं 764 रकबा 2.16 है0, ख0नं 83 रकबा 0.84 है0, कुल किता 14 की 6.9400 हैक्टर एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या नया 130 के खसरा नं0 84 रकबा 2.54 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में दर्ज वादी के नाम कजोड [illegible] के स्थान पर अब्दुल कादर पुत्र ईदा दर्ज करने की घोषणा की [illegible] के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल [illegible]। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

प्रकरण संख्या : 121/2020 तारीख दायरा :–28.01.2020

उनवान

अब्दुल कादर आत्मज ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डावरीखुर्द तह0 सांगोद जिला कोटा। – वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा।
2. रसूल मोहम्मद आत्मज ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डावरीखुर्द, सांगोद हाल मुकाम बीच बाजार बड के पास ग्राम कनवास तह0 कनवास जिला कोटा।
3. हनीफ आत्मज ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द तह0 सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी) दिनांक :– 16.12.2022

श्री मो. शाहिद खान (प्रतिवादी सं. 2 व 3)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा वादी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मोहम्मद शाहीद खान (प्रतिवादी सं. 2 व 3) मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम डाबरीखुर्द की [illegible] ख0नं 511 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 514 रकबा 0.06 है0, ख0नं 625 रकबा [illegible] है0, ख0नं 626 रकबा 0.40 है0, ख0नं 636 रकबा 1.51 है0, ख0नं 647 रकबा 0.32 है0, ख0नं 670 रकबा 0.05 है0,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

ख०नं 671 रकबा 0.05 है०, ख०नं 715 रकबा 0.03 है०, ख०नं 716 रकवा 0.08 है०, ख०नं 720 रकबा 0.78 है०, ख०नं 721 रकबा 0.05 है०, ख०नं 764 रकवा 2.16 है०, ख०नं 83 रकबा 0.84 है०, कुल किता 14 की 6.9400 हैक्टर एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या नया 130 के खसरा नं0 84 रकबा 2.54 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के नाम कजोड पुत्र ईदा के स्थान पर अब्दुल कादर पुत्र ईदा दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** . खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2022 माह दिसम्बर 2022 को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक							
मीजान	....						

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीकेन का [illegible] डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)